न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2019	अपील	03.05.2019	03.03.2021

किरोडी पुत्र किशन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा ढाणी नागाड़ी तहसील गंगापुर सिटी जिला–सवाई माधोपुर
–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी –रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय दिनांक–03.03.2021

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार, तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम किरोडी, मुकदमा नंबर–114/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक–06.03.2019 के विरूद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी नारायणपुर ने अपीलार्थी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार तलावडा को इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम टटवाडा के ख.न. 593 रकबा 0.13 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह वाके ग्राम टटवाडा पर सम्वत् 2075 में अनाधिकृत रूप से गेहू कास्त कर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के विशेष विवरण के कॉलम में अंकित किया है कि अतिकमी का अतिक्रमण पुराना है। नायब तहसीलदार तलावडा ने अपीलार्थी के साक्ष्य सबूतों को नकारते हुए तथा पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये 2 माह के सिविल कारावास की सजा, फसल नीलाम, बेदखली व राशि कायम कर दी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है इस कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर भौतिक रूप से बेदखली मानी है। जबकि ऐसी कोई प्रकिया नहीं हुई है इस ओर भी ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है निर्णय निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि जब तक किसी व्यक्ति को मौके पर पहुँच कर व्यक्ति पुनः कब्जा कर लेता है तो ही भौतिक रूप से बेदखल माना जाता है। प्रार्थी अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी तब हुई जब प्रार्थी के पुत्र गोविन्द को तलावडा का राजस्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवलाल दिनांक 27.02.2019 का नोटिस देकर आया था। तो प्रार्थी दिनांक 27.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित गया। ओर प्रकरण बाबत् जानकारी की, ओर अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखना चाहा। लेकिन उस दिन अधीनस्थ न्यायालय का पीठासीन अधिकारी दौरे पर थें तथा आगामी पेशी 06.03. 2019 नियत की गयी। दिनांक 06.0[illegible] न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा व भूमि ख.नं. 593 रकबा [illegible] किस्म गैरममुकिन पर अपना अतिकमण होने से स्पष्ट इन्कार कि[illegible] निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को [illegible] कि हल्का पटवारी [illegible] सीमाज्ञान करा दिया जायेगा। और आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की [illegible] एक माह बाद पुनः आकर मिल लेना। लेकिन अधीनस्थ [illegible]ालय द्वारा प्रार्थी के अनु[illegible] अस्वीकार कर हल्का पटवारी की द्वेषता पूर्व रिपोर्ट पर दिनांक 06.03.2019 को ही एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। जो कि अविधिक होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 06.03.2019 को पारित निर्णय विधि के सिद्धान्तों तथा नैसर्गिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.19 17:03:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी अपीलार्थी दिनांक 06.03.2019 के बाद कई मर्तवा अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी की अपितु किसी के द्वारा भी आलोच्य निर्णय बावत् नही बताया गया। दिनांक 25.04.2019 को प्रार्थी के पुत्र को राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया गया कि तुम्हारे पिता का तो दिनांक 06.03.2019 को ही 2 माह की सिविल कारावास की सजा दी जा चुकी है। तब दिनांक 25.04.2019 को प्रार्थी के पुत्र द्वारा आलोच्य निर्णय की जानकारी प्रार्थी अपीलार्थी को दी। तत्पश्चात् प्रार्थी के पुत्र द्वारा दिनांक 26.04.2019 को आलोच्य निर्णय व प्रकरण की नकले निकलवायी इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त आलोच्य का पता नही था। प्रार्थी ने पैनल्टी हल्का पटवारी द्वारा मांगी गयी को जमा करा दिया है तथा प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को मानने को तैयार है। आलोच्य निर्णय का दिनांक 25.04.2019 को प्रथम बार ज्ञान हुआ। इस कारण अपील अन्दर मियाद पेश की है फिर भी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र साथ में पेश किया जा रहा है। अपील उचित कोर्ट फीस 2/– रूपये पर प्रस्तुत है।

3. अपीलार्थी ने अपील में निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2019 को मु0नं0 114/19 व धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू को निरस्त फरमाया जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

5. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस कें दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर हल्का पटवारी की द्वेषता पूर्ण रिपोर्ट पर दिनांक 06.03.2019 को ही हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर दिनांक 06.03.2019 को ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया। अपीलार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र का भी अवलोकन किया। जिसमें अपीलार्थी ने बहल्फ बयान किया है कि उसने भूमि ख.नं. 593 रकबा 0.13 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन चरागाह वाके ग्राम टटवाडा से अपना कब्जा हटा लिया है, उक्त भूमि पर अब मेरा कोई कब्जा नही है। एवं उक्त भूमि पर वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा कोई कब्जा नही करेगें। प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते हैं। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश अपास्त मान लिया जायेगा अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.19 17:03:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश अपास्त माना जायेगा अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांकः-03.03.2021 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.19 17:03:21 IST
Reason: SelfAttested